अध्याय 16

सिफारिशों का सार

लोक वित्त की पुनर्संरचना से सम्बन्धित योजना

1. वर्ष 2009-10 तक, केन्द्र और राज्यों का सम्मिलित कर-जीडीपी अनुपात 17.6 प्रतिशत तक, प्राथमिक व्यय जीडीपी के 23 प्रतिशत तक और पूंजी व्यय जीडीपी के लगभग 7 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए।

(पैरा 4.52)

2. परम्परागत विनिमय दरों पर मापित विदेशी ऋण सहित सम्मिलित ऋण-जीडीपी अनुपात न्यूनतम स्तर पर वर्ष 2009-10 के अन्त तक 75 प्रतिशत नीचे लाया जाएगा।

(पैरा 4.45)

3. आगे उधार देने की व्यवस्था को आने वाले समय में समाप्त किया जाए तथा ऋण-जीडीपी अनुपात सम्बन्धी केन्द्र और राज्यों के दीर्घकालिक लक्ष्य प्रत्येक के लिए 28 प्रतिशत होना चाहिए।

(पैरा 4.45)

4. केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध में जीडीपी अनुपात से सम्बन्धित राजकोषीय घाटे का लक्ष्य प्रत्येक के लिए 3 प्रतिशत निर्धारित किया जाए।

(पैरा 4.45)

5. राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष केन्द्र का ब्याज भुगतान वर्ष 2009-10 तक लगभग 28 प्रतिशत तक होना चाहिए। राज्यों के मामले में, राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान के स्तर में वर्ष 2009-10 तक 15 प्रतिशत की गिरावट आनी चाहिए।

(पैरा 4.54)

6. केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्ध में उनके सम्मिलित तथा वैयक्तिक लेखों के सम्बन्ध में जीडीपी का सापेक्ष राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 तक शून्य स्तर तक नीचे लाया जाए।

(पैरा 4.51)

7. राज्यों को भर्ती तथा मजदूरी नीति की पालना इस प्रकार करनी चाहिए कि राजस्व व्यय के सापेक्ष कुल वेतन बिल ब्याज भुगतान तथा पेंशन को घटाकर 35 प्रतिशत से अधिक न हो।

(पैरा 4.63)

8. प्रत्येक राज्य एक राजकोषीय दायित्व विधान अधिनियमित करे जो कम से कम निम्नलिखित की व्यवस्था करे-

   (क) वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना;

   (ख) राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक अथवा इसके समकक्ष घटाया जाए जिसे राजस्व प्राप्तियों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है;

   (ग) राजस्व तथा राजकोषीय घाटों के वार्षिक गिरावट लक्ष्यों को स्पष्ट करना;

   (घ) राज्य अर्थव्यवस्था तथा सम्बन्धित राजकोषीय रणनीति के सम्बन्ध में सम्भावनाओं को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण प्रकाशित करना; और

   (ङ) बजट के साथ विशेष विवरणों का प्रकाशन जिसमें सरकारी, सार्वजनिक तथा सहायता प्राप्त संस्थानों के कर्मचारियों की संख्या तथा उनके वेतन का ब्यौरा दिया हो।

(पैरा 4.79)

केन्द्रीय कर राजस्वों की हिस्सेदारी

9. साझा योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का हिस्सा 30.5 प्रतिशत होगा। इस प्रयोजनार्थ, बिक्री कर के बदले अतिरिक्त उत्पाद शुल्कों को केन्द्रीय करों के सामान्य पूल के एक भाग के रूप में माना जाता है। यदि कर किराया प्रबन्ध को समाप्त किया जाता है तथा राज्यों को इन वस्तुओं पर बिना किसी निर्धारित सीमा के बिक्री कर (अथवा वैट) लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है तो साझा योग्य केन्द्रीय करों की निवल प्राप्तियों में राज्यों का भाग 29.5 प्रतिशत तक घट जाएगा।

(पैरा 7.22)

10. यदि अठासीवें संविधान संशोधन को अधिसूचित करने के बाद सेवा कर के सम्बन्ध में कोई विधान अधिनियमित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि इस विधान के अन्तर्गत किसी राज्य को प्राप्त राजस्व यदि सम्पूर्ण सेवा कर प्राप्तियां सांझा योग्य पूल का भाग होतीं तो इसके अर्जित भाग की अपेक्षी कम होतीं।

(पैरा 7.22)

11. राज्यों को समग्र अन्तरणों की निर्देशित राशि केन्द्रीय सकल राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत निर्धारित की जा सकती है।

(पैरा 7.22)

12. राज्यों को, नीचे सारणी में यथाविर्निष्ट भाग में से वर्ष 2005-06 से 2009-10 की अवधि के दौरान प्रत्येक पांच वित्तीय वर्षों में सभी साझा योग्य केन्द्रीय शुल्कों की निवल प्राप्तियां दी जाएंगी।

(पैरा 7.35, 7.36)

राज्य	हिस्सा (सेवाकर को छोड़कर सभी साझा योग्य कर) (प्रतिशत)	सेवा कर का भाग (प्रतिशत)
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	7.356	7.453
अरूणाचल प्रदेश	0.288	0.292
असम	3.235	3.277
बिहार	11.028	11.173
छत्तीसगढ़	2.654	2.689
गोआ	0.259	0.262
गुजरात	3.569	3.616
हरियाणा	1.075	1.089
हिमाचल प्रदेश	0.522	0.529
जम्मू और कश्मीर	1.297	शून्य
झारखंड	3.361	3.405
कर्नाटक	4.459	4.518
केरल	2.665	2.700
मध्य प्रदेश	6.711	6.799
महाराष्ट्र	4.997	5.063
मणिपुर	0.362	0.367
मेघालय	0.371	0.376
मिजोरम	0.239	0.242
नागालैंड	0.263	0.266
उड़ीसा	5.161	5.229
पंजाब	1.299	1.316
राजस्थान	5.609	5.683
सिक्किम	0.227	0.230
तमिलनाडु	5.305	5.374
त्रिपुरा	0.428	0.433
उत्तर प्रदेश	19.264	19.517
उत्तरांचल	0.939	0.952
पश्चिम बंगाल	7.057	7.150
सभी राज्य	**100.000**	**100.000**

स्थानीय निकाय

13. सभी राज्यों को वर्ष 2005-10 की समयावधि के लिए पंचायती राज संस्थानों हेतु 20000 करोड़ रुपए और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 5000 करोड़ रुपए का कुल अनुदान पारस्परिक वितरण सहित प्रदान किया जाए जिसे सारणी 8.1 में दिखाया गया है।

(पैरा 8.38)

14. पंचायतीराज संस्थाओं को जलापूर्ति तथा स्वच्छता से सम्बन्धित परिसम्पतियों के अधिग्रहण के लिए तथा मरम्मत। जीर्णोद्धारा और साथ ही ओएंडएम लागतों पर अनुदानों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, पंचायती राज संस्थाएं प्रयोक्ता प्रभारों के रूप में आवर्ती लागतों के कम से कम 50 प्रतिशत भाग की वसूली करें।

(पैरा 8.40)

15. पंचायतों के लिए आवंटित अनुदानों में से, जलापूर्ति तथा स्वच्छता की ओएंडएम लागतों पर व्यय को प्राथमिकता दी जाए। इससे पंचायतों के लिए योजनाओं का अधिग्रहण करने तथा उन्हें संचालित करने का कार्य सुगम हो जाएगा।

(पैरा 8.41)

16. शहरी स्थानीय निकायों हेतु प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराए गए कम से कम 50 प्रतिशत अनुदान को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध योजना के लिए निर्धारित किया जाए। नगरपालिकाएं ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, पृथक्करण तथा परिवहन पर अपना ध्यान केन्द्रित करें। इन गतिविधियों की लागत, भले ही वे देश के भीतर पूरी की जाएं अथवा उनकी आउटसेर्सिग हो, अनुदानों से पूरी की जाएगी।

(पैरा 8.42)

17. ग्रामीण इलाकों में जलापूर्ति तथा स्वच्छता की और शहरी इलाकों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्कीमों पर ओएंडएम लागतों पर किए जाने वाले व्यय के अतिरिक्त पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकाय आवंटित अनुदानों में से आंकड़ा आधार तैयार कराने पर होने वाले व्यय तथा जहां सम्भव हो, वहां आधुनिक प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध प्रणालियों के उपयोग से लेखों के रख-रखाव को उच्च प्राथमिकता दें। शहरी क्षेत्रों में सम्पतियों के मानचित्रण के लिए जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) जैसी कुछ आधुनिक विधियों तथा वित्तीय प्रबन्धन की आधुनिक प्रणाली अपनाने हेतु कम्प्यूटरीकरण के उपयोग से ठोस स्थानीय सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन की भावना की पूर्ति होगी।

(पैरा 8.43)

18. राज्य हमारे द्वारा उल्लिखित सिद्धान्तों के आधार पर प्रत्येक स्थानीय निकाय की आवश्यकता का मूल्यांकन करेंगी और तद्नुसार हमारे द्वारा संस्तुत कुल आवंटन में से निधियां निर्धारित करेंगी।

(पैरा 8.43)

19. संविधान की पांचवी तथा छठी अनुसूची के अन्तर्गत सामान्य तथा शामिल न किए गए क्षेत्रों के लिए पृथक से अनुदानों की सिफारिश की गयी है। ऐसे क्षेत्रों वाले राज्य हमारे द्वारा संस्तुत अनुदानों को बाह्य क्षेत्रों सहित सभी स्थानीय निकायों को उपयुक्त तरीके से आवंटित कर सकते हैं।

(पैरा 8.51)

20. केन्द्र सरकार, इन अनुदानों को जारी करने अथवा उपयोग हेतु हमारे द्वारा निर्धारित शर्त के अलावा और कोई ऐसी शर्त नहीं

लगाएगी जो मुख्यतः केन्द्र और राज्यों के बीच ऊर्ध्वमुखी असंतुलन के सुधार के स्वरूप की हों।

(पैरा 8.52)

21. और अधिक राशि जारी करने से पहले, पूर्व में जारी की गयी राशि का उपयोग करने सम्बन्धी आग्रह की सामान्य प्रक्रिया जारी रहेगी और किसी राज्य को अनुदान तभी जारी किया जाएगा जबकि वह यह प्रमाणित करे कि पूर्व में जारी की गयी राशि स्थानीय निकायों को पारित की जा चुकी है। राज्यों को वर्ष 2005-06 की एवार्ड अवधि के प्रथम वर्ष में देय राशि बिना किसी ऐसे आग्रह के जारी की जा सकती है।

(पैरा 8.52)

22. केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदानों को सरकारी निकायों को अन्तरित करने में राज्य सरकारें 15 दिन से ज्यादा समय न लें। केन्द्र राज्य के स्तर पर न रखे गए किसी भी अनुचित विलम्ब को गम्भीरता से लें।

(पैरा 8.53)

23. केन्द्र सरकार विभिन्न नीतिगत उपायों को तैयार करते समय अथवा उनका संशोधन करते समय पैरा 8.23 में सूचीबद्ध मुद्दों पर हमारे व्यक्त विचारों को ध्यान में रखे।

(पैरा 8.23)

24. राज्य पंचायतों के संसाधनों में सुधार के लिए पैरा 8.19 में सूचीबद्ध सर्वोत्तम प्रक्रिया का अनुपालन करें।

(पैरा 8.19)

25. पैरा 8.29 से 8.37 तथा 8.54 में राज्य वित्त आयोगों के सम्बन्ध में हमारे द्वारा व्यक्त सुझावों पर कार्रवाई हो ताकि राज्य वित्त आयोगों की संस्थाओं में मजबूती आए तथा ये सरकार की त्रिस्तरीय व्यवस्था को राजकोषीय अन्तरणों की एक प्रभावी भूमिका के रूप में अपने दायित्व निभा सकें।

(पैरा 8.29 से 8.37, 8.54)

आपदा राहत

26. आपदा राहत निधि (सीआरएफ) योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहे जिसमें केन्द्र तथा राज्यों के स्तर से अंशदान अनुपात 75:25 होगा।

(पैरा 9.10, 9.11)

27. हमारी एवार्ड अवधि के लिए सीआरएफ की मात्रा 21333.33 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया है।

(पैरा 9.11)

28. एनसीसीएफ योजना अपने मौजूदा स्वरूप में जारी रहेगी जिसमें 500 करोड़ रुपए की मुख्य आधारभूत निधि होगी। निधि से व्यय की गयी राशि को राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि शुल्क के संग्रहण तथा विशेष अधिभार लगाकर पुनःपूर्ति की जाती रहेगी।

(पैरा 9.16, 9.17)

29. मौजूदा लागू प्राकृतिक आपदा की परिभाषा को भू-स्खलन, हिमस्खलन, बादल विस्फोट तथा कीट हमलों को शामिल करते हुए विस्तारित किया जाए।

(पैरा 9.12)

30. केन्द्र राहत उपाय के बतौर जरूरतमंद राज्यों को खाद्यान्न आवंटन जारी रखेगा लेकिन इस सम्बन्ध में एक पारदर्शी नीति को तैयार किया जाना अपेक्षित है।

(पैरा 9.18)

31. वैज्ञानिकों, बाढ़ नियंत्रण विशेषज्ञों तथा अन्य विशेषज्ञों सहित एक समिति की स्थापना की जाए जो विभिन्न राज्यों के समक्ष आ रहे खतरों का अध्ययन तथा उनका मूल्यांकन करे।

(पैरा 9.14)

32. महाआपदा से निपटने की तैयारी तथा उसे न्यून करने सम्बन्धी प्रावधान को राज्य आयोजनाओं में रखा जाए, इसे आपदा राहत के बतौर न माना जाए।

(पैरा 9.14)

राज्यों को सहायता अनुदान

33. गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों को (विशेष श्रेणी वाले राज्यों के मामले में 10:90) आयोजना सहायता प्रदान करने हेतु ऋण और अनुदानों के बीच 70:30 अनुपात की प्रणाली को समाप्त किया जाए, इसके स्थान पर केन्द्र, राज्यों को आयोजना अनुदान प्रदान करने तक सीमित रखे और यह राज्यों के निर्णय पर छोड़ दें कि वे कितना और कहां से उधार लेना चाहते हैं।

(पैरा 10.4)

34. अवार्ड अवधि के दौरान पन्द्रह राज्यों के लिए 56855.87 करोड़ रुपए के कुल आयोजना-भिन्न राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की जाती है सारणी 10.4 देखें।

(पैरा 10.12, 10.13)

35. शिक्षा क्षेत्र के लिए अवार्ड अवधि में किसी भी पात्र राज्य के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 20 करोड़ रुपए की राशि सहित आठ राज्यों को 10171.65 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है। (सारणी 10.5 द्वारा)

(पैरा 10.17)

36. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अवार्ड अवधि में (मुख्य शीर्ष 2210 तथा 2211) किसी भी पात्र राज्य के लिए एक वर्ष में न्यूनतम 10 करोड़ की राशि सहित सात राज्यों को 5887.08 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की गयी है (सारणी 10.6 देखें)।

(पैरा 10.18)

37. शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए अनुदान इन क्षेत्रों में राज्यों द्वारा किए जाने वाले सामान्य व्यय के अलावा अतिरिक्त तौर पर है। इन अनुदानों का उपयोग केवल सम्बद्ध क्षेत्रों (आयोजना भिन्न) के लिए किया जाए अर्थात् शिक्षा के मामले में यह मुख्य शीर्ष 2202 तथा स्वास्थ्य के मामले में मुख्य शीर्ष

2210 तथा 2211 के तहत होगा। इन अनुदानों को जारी करने तथा इनके उपयोग को शासित करने सम्बन्धी शर्तें अनुबंध 10.1 से 10.3 में विनिर्दिष्ट हैं। इन अनुदानों को जारी करने तथा इनके उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा और कोई शर्त नहीं लगायी जाएगी। इन अनुदानों से सम्बद्ध व्यय की मानीटरिंग सम्बद्ध राज्य सरकार में निहित होगी।

(पैरा 10.19)

38. सड़क तथा पुलों के रख-रखाव हेतु अवार्ड अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की जाती है। यह राशि उस सामान्य व्यय के अतिरिक्त होगी जिसे राज्य सड़क तथा पुलों के रख-रखाव हेतु खर्च किया जाएगा। यह राशि अवार्ड अवधि (अर्थात् 2006-07 से 2009-10) के अन्तिम चार वर्षों के लिए समान किश्तों में उपलब्ध करायी जाएगी ताकि राज्य एक वर्ष की समयावधि इन निधियों को आमेलित करने की तैयारी हेतु प्राप्त कर सकें।

(पैरा 10.21)

39. सार्वजनिक भवनों के रख-रखाव हेतु अनुदानों के बतौर 5000 करोड़ रुपए की राशि की सिफारिश की जाती है।

(पैरा 10.22)

40. सड़क तथा पुलों और भवन निर्माण हेतु अनुरक्षण अनुदान अतिरिक्त तौर पर राज्यों द्वारा किए जाने वाले सामान्य अनुरक्षण व्यय के अतिरिक्त हैं। इन अनुदानों को अनुबंध 10.4 से 10.6 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार जारी तथा व्यय किया जाएगा।

(पैरा 10.23)

41. वनों के रख-रखाव हेतु वर्ष 2005-10 की अवार्ड अवधि के दौरान 1000 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश की जाती है। यह राज्यों द्वारा अपने वन विभागों के माध्यम से व्यय की गयी राशि के अलावा अतिरिक्त तौर पर होगा। यह वन विभाग के सामान्य व्यय के अतिरिक्त इस अनुदान से अधिक व्यय का भी परिणाम होगा।

(पैरा 10.25)

42. पंचाट (एवार्ड) अवधि में 625 करोड़ रुपए के अनुदान की सिफारिश ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए की गई है। इस अनुदान का प्रयोग ऐतिहासिक स्मारकों, पुरातत्वीय स्थलों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, संग्रहालयों और अभिलेखागारों के प्रतिरक्षण और संरक्षण तथा इन स्थलों की यात्राओं को आसान बनाने के लिए पर्यटक आधारढांचे में सुधार लाने के लिए भी किया जाएगा।

(पैरा 10.26)

43. राज्यों की विशेष जरूरतों के लिए 7100 करोड़ रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की गई है। जबकि इन अनुदानों को गत चार वर्षों में एकसमान रूप से धीरे-धीरे समाप्त किया गया है, इस समाप्ति को निर्देशक किस्म का माना जाए। राज्य, अनुदानों की अपेक्षित समाप्ति की सूचना केन्द्र सरकार को देगें (सारणी 10.11 देखें)।

(पैरा 10.28)

राजकोषीय सुधार सुविधा

44. राजकोषीय सुधार सुविधा योजना वर्ष 2005-10 की अवधि में जारी नहीं रहेगी क्योंकि अध्याय 12 में यथा वर्णित ऋण राहत योजना में एक पृथक राजकोषीय सुधार सुविधा की जरूरत को अनावश्यक बताया गया है।

(पैरा 11.25)

ऋण राहत और सुधारात्मक उपाय

45. प्रत्येक राज्य एक राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाए जिसमें वर्ष 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने तथा उधारों और गारण्टियों में कमी के मार्ग पर आधारित राजकोषीय घाटों में कमी करने की दृष्टि से विशेष वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। अध्याय 4 में निर्देशित सिद्धान्तों पर राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाना ऋण राहत प्राप्त करने की एक अनिवार्य पहली शर्त होगी।

(पैरा 12.36)

46. ऋण राहत को मानव विकास सबंधी निष्पादन अथवा निवेश के परिवेश से न जोड़ा जाए।

(पैरा 12.38)

47. राज्यों को 31.03.2004 तक अनुबंधित तथा 31.3.2005 को बकाया केन्द्रीय ऋणों (128795 करोड़ रुपए की राशि के) को समेकित किया जाएगा और नए सिरे से 20 वर्षों की अवधि के लिए पुनः निर्धारित किया जाएगा (जिनकी वापसी अदायगी 20 समान किश्तों में की जाएगी), और उन पर 7.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज लगेगा। यह तभी होगा जब राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान बनाएगा और यह इस विधान के लागू होने के वर्ष से प्रभावी होगा।

(पैरा 12.42)

48. राज्यों के राजस्व घाटे में कमी से जुड़ी ऋण को बट्टे खाते में डालने संबंधी योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत, 31.3.04 तक अनुबंधित और समेकित किए जाने के लिए सिफारिश किए गए केन्द्रीय ऋणों के संबंध में वर्ष 2005-06 से वर्ष 2009-10 तक देय वापसी अदायगियां बट्टे खाते में डालने के लिए पात्र होंगी। वापसी अदायगी की बट्टे खाते में डाली जाने वाली राशि की मात्रा उस पूरी राशि से सम्बद्ध होगी जिसमें राजस्व घाटा पंचाट अवधि के दौरान लगातार हर वर्ष कम किया जाएगा। राजस्व घाटे में कमी हमारे द्वारा सिफारिश की गई ब्याज राहत में संचयी कमी की अपेक्षा संचयी रूप से अधिक होनी चाहिए। राज्य का राजकोषीय घाटा भी कम से कम वर्ष 2004-05 के स्तर तक नियंत्रित होना चाहिए। वस्तुतः यदि राजस्व घाटा शून्य पर आ जाता है तो वर्ष के दौरान समस्त वापसी अदायगियां बट्टे खाते में डाल दी जाएंगी। इस योजना के तहत ऋण राहत प्राप्त करने तथा साथ ही भविष्यलक्षी प्रभाव से लाभ उपचित करने के

लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान लागू करना एक जरूरी पहली शर्त होगी। योजना के ब्यौरों की रूपरेखा पैरा 12.44 में दी गई है।

(पैरा 12.43)

49. भविष्य में, उधार के लिए लिए केन्द्र सरकार एक मध्यस्थ का कार्य नहीं करेगी और राज्यों को सीधे बाजार जाने की अनुमति यदि राजकोषीय दृष्टि से कमजोर कुछ राज्य बाजार से निधियां जुटाने में असमर्थ होते हैं तो केन्द्र इस प्रयोजन हेतु उधार लेकर आगे राज्यों को उधार दे सकता है लेकिन ब्याज दरें केन्द्र के लिए उधारों की सीमान्त लागत के समान होंगी।

(पैरा 12.46)

50. राज्यों को विदेशी सहायता का अन्तरण उन्हीं शर्तों पर किया जाए जो विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा इस तरह की सहायता से सम्बद्ध है जिससे कि भारत सरकार बिना लाभ अथवा हानि के एक वित्तीय मध्यस्थ बन सके। राज्यों को हस्तान्तरित विदेशी सहायता सरकारी खाते में एक पृथक निधि के माध्यम से नियंत्रित की जानी चाहिए।

(पैरा 12.49)

51. 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, पंजाब को दिए गए विशेष अवधि ऋण की बकाया 3772 करोड़ रुपए की राशि की वापसी अदायगी और उस पर ब्याज भुगतान की स्थगन अवधि दो वर्षों अर्थात् 2006-07 तक जारी रखी जाए तब तक केन्द्र सरकार ईएफसी की सिफारिशों के अनुसार ऋण राहत की अनुमेय मात्रा निर्धारित कर लेगी।

(पैरा 12.51)

52. एशियाई विकास बैंक और विश्व बैंक द्वारा केन्द्रीय सरकार के माध्यम से गुजरात को दिए गए राहत और पुनर्वास ऋणों के संबध में केन्द्र सरकार, यदि गुजरात सरकार ऐसा चाहे तो इन ऋणों की शर्तों में परिवर्तन कर सकती है ताकि ये ऋण गुजरात को उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध हो जाएं जिन पर विदेशी एजेंसियों ने ये ऋण दिए हैं।

(पैरा 12.55)

53. सभी राज्यों को बैंकों से ऋण राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) के खाते में देनदारियां आदि सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए ऋण शोधन निधियां स्थापित करनी चाहिए। यह निधि राज्यों की समेकित निधि और सरकारी खाते से अलग रखी जानी चाहिए और इसका प्रयोग, ऋणों के मोचन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(पैरा 12.59)

54. राज्यों को अंकित गारण्टी शुल्कों के माध्यम से गारण्टी मोचन निधियां स्थापित करनी चाहिए। इससे पहले गारण्टियों का जोखिम भार जान लेना चाहिए। तदनुसार, निधि में अंशदान की मात्रा निर्धारित करनी चाहिए।

(पैरा 12.60)

पेट्रोलियम लाभ

55. केन्द्र को एनईएलपी क्षेत्रों से होने वाले पेट्रोलियम लाभ का हिस्सा उन राज्यों को देना चाहिए जहां खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। हिस्से का अनुपात 50:50 है।

(पैरा 13.31)

56. नामांकन क्षेत्रों और गैर-एनईएलपी खण्डों के संबध में लाभों को बांटने की जरूरत नहीं है।

(पैरा 13.32)

57. केन्द्र सरकार द्वारा कोल बेड मैथेन नीति के तहत हस्ताक्षरित संविदाओं पर अर्जित राजस्वों का उत्पादक राज्यों के साथ पेट्रोलियम लाभ के बंटवारे की तरह ही बाटंना चाहिए।

(पैरा 13.33)

58. किसी भी खनिज के मामले में, जिसके उत्पादन का बंटवारा किया जाता है यदि किसी राज्य के संबंध में, नीति के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में राजस्व हानि प्रत्याशित होती है तो केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ही मुआवजे की पद्धति अपनाई जानी चाहिए।

(पैरा 13.34)

वित्त आयोग के लिए एक स्थाई सचिवालय

59. वित्त मंत्रालय के वित्त आयोग को एक पूर्ण विभाग के रूप में बदल दिया जाना चाहिए जो वित्त आयोग के लिए एक स्थाई सचिवालय के रूप में काम करे। इस सचिवालय में सरकार के एक पूर्ण विभाग की शक्तियां निहित होनी चाहिए और संसद के साथ सम्पर्क करने के प्रयोजन के लिए केवल वित्त मंत्रालय ही इसका नोडल मंत्रालय होना चाहिए।

(पैरा 14.6, 14.7)

60. वित्त आयोग के व्यय को भारत की समेकित निधि पर "प्रभारित" व्यय माना जाना चाहिए।

(पैरा 14.9)

61. एक अनुसंधान समिति की स्थापना की जाए जिसके पास राजकोषीय संघवाद से सम्बद्ध अध्ययनों के आयोजन हेतु पर्याप्त निधि उपलब्ध हो।

(पैरा 14.8)

62. वित्त आयोग की कार्यावधि कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए जिससे कि वह अपना कार्य उचित रूप से कर सके।

(पैरा 14.8)

63. तेरहवें वित्त आयोग की स्थापना वर्ष 2007 के प्रारम्भ में कर दी जानी चाहिए और आयोग की नियुक्ति से पूर्व ही कार्यालय, तथा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के निवास के लिए उचित व्यवस्था कर दी जानी चाहिए ताकि नेमी प्रशासनिक मामलों में आयोग का समय बर्बाद न हो।

(पैरा 14.8)

अनुवीक्षण प्रणाली

64. वित्त आयोग के अनुदानों के उचित उपयोग का अनुवीक्षण करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक उच्च स्तरीय अनुवीक्षण

समिति की स्थापना करनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्रालय के मुख्य सचिव करेंगें और सचिव/विभागाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे।

(पैरा 14.11, 14.12)

65. अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करने और मध्यावधि में संशोधन हेतु, यदि आवश्यक समझा जाए, निर्देश जारी करने के लिए अनुवीक्षण समिति की प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होनी चाहिए।

(पैरा 14.12)

66. अनुवीक्षण समिति की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह वित्तीय एवं वास्तविक, दोनों तरह के लक्ष्यों का अनुवीक्षण करे तथा प्रत्येक अनुदान के सबंध में विशेष शर्तों, जहां भी ये लागू हों, का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(पैरा 14.11)

67. वर्ष के प्रारम्भ में, समिति वित्त आयोग की सहायता से प्रत्येक क्षेत्र में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान करे, लक्ष्य, वास्तविक तथा वित्तीय दोनों रूपों में, निर्धारित करे तथा विशेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समयावधि निर्धारित करे।

(पैरा 14.11)

लेखा प्रक्रिया

68. केन्द्र सरकार को धीरे-धीरे लेखा के उपचय आधार की ओर बढ़ना चाहिए।

(पैरा 14.16)

69. अन्तरिम अवधि में विवरणियों के रूप में अतिरिक्त सूचना को वर्तमान नकदी लेखा प्रणाली के साथ सलंग्न करना चाहिए जिससे कि और अधिक सही निर्णय लिया जा सके। अतिरिक्त सूचना, सब्सिडियों, वेतनों पर व्यय, पेशनों पर व्यय, वचनबद्ध देनदारियों, अनुरक्षण व्यय, वेतन और वेतन-भिन्न भागों तथा देनदारियों के पृथक्करण और बकाया ऋण के संबध में वापसी अदायगी की निर्धारित अवधि से संबधित हो सकती है।

(पैरा 14.16)

70. राजस्व और राजकोषीय घाटों की परिभाषा को मानकीकृत किया जाए और वस्तु शीर्ष के नीचे एक समान वर्गीकरण कोड सभी राज्यों को जारी किया जाए।

(पैरा 14.17)

71. भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय सरकारी वित्तीय लेखापाल संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसका चार्टर नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाएगा।

(पैरा 14.18)

सी. रंगाराजन
अध्यक्ष

शंकर एन. आचार्य
सदस्य

टी.आर. प्रसाद
सदस्य

डी.के. श्रीवास्तव
सदस्य

जी.सी. श्रीवास्तव
सदस्य सचिव

नई दिल्ली,
30 नवम्बर, 2004

मैं आयोग के सदस्यों द्वारा दिए गए पूर्ण सहयोग के लिए उनका ह्रदय से आभारी हूं। यह रिपोर्ट एक संयुक्त प्रयास है और इसे तैयार करने में प्रत्येक सदस्य का अपूर्व ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं श्री सोमपाल को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो मई, 2004 तक आयोग के सदस्य रहे। उन्होंने आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न चर्चाओं में अपने विचारों को बहुत स्पष्टता और ईमानदारी के साथ प्रस्तुत किया है। मैं सदस्य सचिव, डा. जी.सी. श्रीवास्तव द्वारा प्रदान की गई अनुकरणीय सेवाओं के लिए भी आभारी हूं, जिन्होंने रिपोर्ट में पर्याप्त सहयोग देने के अलावा सचिवालय को सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है और आयोग से सबंधित विविध कार्यों का बहुत सावधानीपूर्वक संचालन किया है। सरकार के विभिन्न स्तरों पर उनका अनुभव आयोग के लिए एक बड़ी सम्पत्ति है।

सी. रंगाराजन
अध्यक्ष

नई दिल्ली
30 नवम्बर, 2004